

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 248] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 1979/श्रावण 17, 1901
No. 248] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 1979/SRAVANA 17, 1901

**इस भाग में भिन्न-भिन्न संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके।**

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation**

गृह मंत्रालय

(कार्यमक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1979

ला. का. नि. 471 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उप-नियम (1) के साथ पठित, अधिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61), की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम 1955 में और संशोधन करने के लिए एनड्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियन्त्रण) अध्यां संशोधन विनियम, 1979 है।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियन्त्रण) विनियम, 1955 की अनुसूची में उत्तर प्रदेश अध्यां के अधीन :—

(1) प्रविष्टि 5 में अंक 88 के स्थान पर अंक 94* प्रतिस्थापित किए जाएं।

(2) अन्त में आने वाले 390 और 497 अंकों के स्थान पर क्रमशः 396 और 503 अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

* इनमें 46 अतिरिक्त पद शामिल हैं।

[संख्या 11031/8/78-अ.भा.से. (2)]

रामचन्द्र शामल, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 1979

G.S.R. 471(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) and the first proviso to sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Uttar Pradesh hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulation, 1955, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulations, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 for the heading 'Uttar Pradesh' and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely :—

(i) in entry 5 for the figures '88' the figures '94*' shall be substituted.

(ii) for the figures '390' and '497' the figures '396' and '503' shall be substituted.

includes 46 posts allowed as ad-hoc increase.

[No. 11031/8/78-AIS(II)]

R. C. SAMAL, Dy. Secy.